



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14052026-272560
CG-DL-E-14052026-272560

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2359]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 12, 2026/वैशाख 22, 1948

No. 2359]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 12, 2026/VAISAKHA 22, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2026

का.आ. 2451(अ).— केंद्रीय सरकार मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और श्रम और रोजगार मंत्रालय में भारत सरकार की तारीख 19/1/2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 186(अ), 187(अ), 188(अ), 189(अ), 190(अ), 191(अ), 192(अ), में अधिक्रमण करते हुए, उन बातों के सिवाय जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई हैं या करने का लोप किया गया है, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित, अधिकारियों को उन स्थापनों के संबंध में जिनमें केन्द्र सरकार समुचित सरकार है, उक्त तालिका के स्तंभ (3) में उनके समक्ष विनिर्दिष्ट अधिकार क्षेत्र में, रियायती दर पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में जीवन निर्वाह भत्ते की लागत और रियायतों के नकद मूल्य की गणना ऐसे अंतरालों पर और ऐसे निदेशों के अनुसार करने के लिए, जो केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं या दिए जाएं, प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् -

सारणी

क्र.सं. (1)	अधिकारी (2)	अधिकार क्षेत्र (3)
1.	महानिदेशक, श्रम ब्यूरो	संपूर्ण भारत

[फा. सं. पी-11011/02/2026-डब्ल्यूसी]]

तेजस्वी एस. नायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2026

S.O. 2451(E).— In exercise of the powers conferred by **sub-section (2) of section 7** of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019), and in supersession of the notifications of the Government of India, in the Ministry of Labour and Employment S.O. No. 186(E), 187(E), 188(E), 189(E), 190(E), 191(E) and 192(E) dated 19/1/2017, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (2) of the Table below as **authority**, for computation of the cost of living allowance and the cash value of the concessions in respect of supplies of essential commodities at concession rate in the establishments, at such intervals and in accordance with such directions as may be specified or given by the Central Government from time to time, in relation to which the Central Government is the appropriate Government, within the jurisdiction specified in column (3) of the said Table thereof, namely:—

TABLE

Sl. No. (1)	Officer (2)	Jurisdiction (3)
1.	Director General, Labour Bureau	The whole of India

[F. No. P-11011/02/2026-WC]

TEJASWI S. NAIK, Jt.Secy.